International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 17-06-2022, Accepted: 03-07-2022, Published: 19-07-2022
Volume 8, Issue 4, 2022, Page No. 35-38

मध्याह्न भोजन योजना वनाम प्रधानमंत्री पोषण योजना

गुरमीत सिंह
सहायक आचार्य, ज्ञान ज्योति इंस्टिट्यूट ऑफ बैचलर एजुकेशन राजोल, काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश, भारत

सांराश
शिक्षा, सामाजिक समानता का सबसे बड़ा साधन है लेकिन सबको समान रूप से शिक्षित करना विकाशशील देशों के लिए एक कठिन काम है हालाँकि हमारे देश की सरकारों द्वारा सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो कि संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21। जोड़ा गया जो ये प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अपबंद करेगा भारत के कई हिस्सों में लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीव नहीं होता जिसके चलते लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते ताकि वह कुछ कमा कर कम से कम एक या दो वक्त का खाना खा सकें जिसका बच्चों की शिक्षा पर वुरा असर पड़ता है सरकार ने इस के लिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया ताकि बच्चे शिक्षा भी ग्रहण करें और कम से कम एक समय का खाना भी खा सकें अब स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड–डे मील का नाम बदल दिया गया है. मिड–डे मील स्कीम अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम हो गया है. नाम बदलने के साथ इस स्कीम के दायरे में भी बदलाव किया गया है. इस शोध लेख का उद्देश्य इन दोनों योजनाओं के बीच सम्बन्ध ,अंतर तथा समानताओं का विश्लेष्ण करना है ।

मूल शब्दः मध्याह्न भोजन, योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति।

प्रस्तावना
शिक्षा, सामाजिक समानता का सबसे बड़ा साधन है लेकिन सबको समान रूप से शिक्षित करना विकाशशील देशों के लिए एक कठिन काम है हालाँकि हमारे देश की सरकारों द्वारा सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो कि संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 । जोड़ा गया जो ये प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अपबंद करेगा इस अधिकार के लिए संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागु हुआ 12 वीं पञ्च वर्षीय योजना में भी शिक्षा की गुणवत्ता , सुधार और समाज के सभी वर्गों को सामान रूप से शिक्षा का उल्लेख है भारत सरकार भी शिक्षा को हर वर्ग तक पहुँचाने के लिए र्प्तिवध है जिसके तहत भारत सरकार ने वहुत से कार्यक्रम भी शुरू किये हैं जिसमे मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील भी एक है भारत के कई हिस्सों में लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीव नहीं होता जिसके चलते लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते ताकि वह कुछ कमा कर कम से कम एक या दो वक्त का खाना खा सकें जिसका बच्चों की शिक्षा पर वुरा असर पड़ता है सरकार ने इस के लिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया ताकि बच्चे शिक्षा भी ग्रहण करें और कम से कम एक समय का खाना भी खा सकें

मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील
मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का आरम्भ 15 अगस्त 1995 को हुआ था और सबसे पहले इस स्कीम को 2000 से अधिक ब्लॉकों के स्कूलों में लागू किया गया था. इस स्कीम के सफल होने के बाद इस स्कीम को साल 2004 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया था और इस वक्त ये स्कीम हमारे पूरे देश के सराकरी स्कूलों में चल रही है. मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभोमिकरण को बढाकर , नामांकन , प्रतिधारण और साथ ही प्राथमिक में छात्रों के पोषण पर भी ध्यान देना है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एक मानव अधिकार संधि है और इस ट्रीटी का हिस्सा भारत भी है. ये संधि बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई संधि है.
भारत इस संधि का सदस्य है, इसलिए ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के बच्चों को "पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ" मुहैया कराए. इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने मिड डे मील को स्टार्ट करने का निर्णय लिया था और इस तरह से इस स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शुरू किया गया था.
अब स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड–डे मील का नाम बदल दिया गया है. मिड–डे मील स्कीम अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम हो गया है. नाम बदलने के साथ इस स्कीम के दायरे में भी बदलाव किया गया है. नए नाम के साथ इस स्कीम के जरिए अब प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले या बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी ताजा और गर्म भोजन मुहैया कराया जाएगा. अभी तक मिड–डे मील स्कीम के तहत पहली से आठवीं तक के बच्चों को भोजन दिया जाता था. मिड–डे मील के दायरे में बदलाव से 11 लाख 20 हजार स्कूलों में पढ़ रहे करीब 11 करोड़ 80 लाख अतिरिक्त बच्चों को भोजन मिलेगा. नाम और दायरा बढ़ाने के साथ इस स्कीम में और भी कई बदलाव किए गए हैं. इसमें स्थानीय महिलाओं की भागीदारी, बागवानी को प्रोत्साहित करने, भोजन

पकाने की प्रतियोगिता और स्कूली बच्चों विशेषकर एनीमिक बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान देने जैसी चीजें शामिल हैं.

अध्ययन का उद्देश्य

1. मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला में छात्रों के पंजीकरण पर प्रभाव का अध्ययन करना
2. मध्याह्न भोजन योजना का योजना उद्देश्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला में छात्रों के ड्राप आउट पर प्रभाव का अध्ययन करना
3. कुपोषित बच्चों के पोषण पर ध्यान देना
4. मध्याह्न भोजन योजना दृ दिशा निर्देश
5. मध्याहन भोजन स्कीम को जिन भी स्कूलों में चलाया जाता है उन सभी स्कूलों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की हैं और इन गाइडलाइंस का पालन हर स्कूल को करना पड़ता है.
6. मिड डे मील से जुड़ी प्रथम गाइडलाइन के मुताबिक जिन स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाया जाता है, उन स्कूलों को ये खाना रसोई घर में ही बनाना होता है. कोई भी स्कूल किसी खुली जगह में और किसी भी स्थान पर इस खाने को नहीं बना सकता है.
7. दूसरी गाइडलाइन के मुताबिक रसोई घर, क्लास रूम से अलग होना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई करते समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो.
8. स्कूल में खाना बनाने में इस्तेमाल होनेवाले ईंधन जैसे रसोई गैस को किसी सुरक्षित जगह पर रखना अनिवार्य है. इसी के साथ ही खाना बनाने वाली चीजों को भी साफ जगह पर रखने का जिक्र इस स्कीम की गाइडलाइन में किया गया है.
9. जिन चीजों का इस्तेमाल भी खाना बनाने के लिए किया जाएगा, उन सभी चीजों की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए और पेस्टिसाइड वाले अनाजों का प्रयोग किसी भी प्रकार के खाने में नहीं किया जाना चाहिए.
10. खाने बनाने के लिए केवल एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाने का उल्लेख भी इस योजना की गाइडलाइन में किया गया है.
11. खाना बनाने से पहले सब्जी, दाल और चावल को अच्छे से धोने का नियम भी इस स्कीम की गाइडलाइन में जोड़ा गया है.
12. गाइडलाइन के मुताबिक जिस जगह यानी भंडार में खाने की सामग्री को रखा जाएगा उस भंडार घर की साफ पर भी अच्छा खासा ध्यान देना होगा.
13. जिन रसोइयों द्वारा बच्चों को दिए जानेवाला ये खाना बनाया जाएगा, उन रसोइयों को भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा. खाना बनाने से पहले रसोइयों को अपने हाथों को अच्छे से धोना होगा और उनके हाथों के नाखून भी कटे होने चाहिए. इसकी के साथ जिस व्यक्ति द्वारा बच्चों को खाना परोसा जाएगा उसे भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा.
14. खाना बनने के बाद उस खाने का स्वाद पहले दो या तीन लोगों को चखना होगा और इन दो तीन लोगों में से कम से कम एक टीचर शामिल होना चाहिए.

पांच साल में खर्च होंगे 99,061.73 करोड़

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अनुसार भारत सरकार प्रधानमंत्री पोषण योजना पर अगले पांच साल में 99,061. 73 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसमें खाद्यान्न की लागत शामिल है तथा भोजन की शुरुआत, सोशल ऑडिट, स्कूल पोषण उद्यान और कई अन्य उपायों के जरिए इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी.

स्कूलों में बनेंगे पोषण उद्यान

शिक्षा मंत्री जी के अनुसार सरकार स्कूली बच्चों की सक्रिय भागीदारी के जरिए स्कूलों में पोषण उद्यान विकसित करने पर विचार कर रही है. अभी फिलहाल करीब तीन लाख स्कूलों में पोषण उद्यान विकसित किए गए हैं. पोषण उद्यान विकसित करने का मकसद बच्चों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराना है.

क्या हुए हैं बदलाव?

- अभी तक देश में मध्याह्न भोजन योजना चल रही थी और मंत्रिमंडल ने इसे नया स्वरूप दिया है. सीसीईए ने इसे पीएम पोषण योजना के रूप में मंजूरी दी है. प्रधान ने कहा कि पीएम पोषण योजना के दायरे में बाल वाटिका (प्री स्कूल) के बच्चे भी आयेंगे . इस केंद्र प्रायोजित योजना के दायरे में सरकारी, सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चे आयेंगे .
- राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि रसोइयों, खाना पकाने वाले सहायकों का मानदेय प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दिया जाए . इसके अलावा स्कूलों को भी डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाए . इससे 11.20 लाख स्कूलों के 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा .
- इसके तहत तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा. तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरोंध्त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं.
- इसमें कहा गया है कि सरकार बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा दे रही है. इन बगीचों की फसल का उपयोग मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है.

- इस योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयं–सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा
- योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही आकांक्षी जिलों और उच्च रक्ताल्पता वाले जिलों में बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है.
- मंत्रालय के अनुसार नई योजना के तहत अगर राज्य अपनी स्थानीय सब्जी या कोई अन्य पौष्टिक भोजन या दूध या फल जैसी कोई चीज शामिल करना चाहते हैं तो वे केंद्र की मंजूरी से ऐसा कर सकते हैं. यह आवंटित बजट में होना चाहिए. इससे पहले, राज्यों को कोई अतिरिक्त वस्तु शामिल करने पर लागत खुद वहन करनी पड़ती थी.

क्या हुए अहम बदलाव

- पीएम पोषण योजना का प्राथमिक कक्षाओं के सभी 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा, पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं या बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तार किया गया है। इसके जरिए करीब 24 लाख अतिरिक्त बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) के बच्चे शामिल होंगे।
- तिथि भोजन की अवधारणा को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है, जिसमें लोग विशेष अवसरोंध्त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं।
- योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।
- आकांक्षी जिलों और जिन जिलों में एनीमिया से पीड़ित बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा।
- मध्याह्न योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयं–सहायता समूहों की भागीदारी की जाएगी।
- विश्वविद्यालयोंध्संस्थानों के छात्रों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आरआईई) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के प्रशिक्षु शिक्षकों जरिए स्कीम की निगरानी भी कराई जाएगी। जिससे कि योजना का सुचारू संचालन हो सके।
- हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल में बच्चों को नाश्ता देने के प्रस्ताव पर नई योजना में कोई ऐलान नहीं किया है।

मिड डे मील योजना उद्देश्य/महत्व

मिड डे मील बच्चों से जुड़ी हुई योजना है जिसका मकसद बच्चों को अच्छा भोजना मुहैया करवाना है और इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

बच्चों का बेहतर विकास हो

आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने परिवार को दो वक्त का खाना देने में असमर्थ हैं. जिसके कारण इन परिवार से नाता रखने वाले छोटे बच्चों का मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता है. इसलिए सरकार, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मिड डे मील के जरिए पोषक भोजन उपलब्ध करती हैं ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके.

ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आ सकें

जो दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य मिड डे मील का है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है. इस स्कीम के जरिए बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जाता है और ऐसा होने से कई गरीब परिवार ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है.

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को खाना मुहैया करवाना

इस स्कीम के तहत जिस दिन भी स्कूल खुले रहते हैं, उस दिन बच्चों को भोजना करवाना अनिवार्य होता हैं. वहीं गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है. लेकिन साल 2004 में सरकार ने गर्मी की छुट्टियों के दिन भी इस स्कीम को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में चलाए रखने का आदेश दिए थे. जिसके बाद से इन इलाकों के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में भी भोजन दिया जाता था.

मिड डे मील योजना मंत्रालय

मिड डे मील स्कीम को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा हमारे देश में चलाया जाता है और इस मंत्रालय द्वारा ही इस स्कीम से जुड़ी गाइडलाइंस बनाइ गई है. साथ ही इस मंत्रालय द्वारा कई ऐसी कमेटी में बनाई गई हैं जो कि इस स्कीम को और बेहतर बनाने के कार्य करती हैं.

हर राज्य में बनाई गई हैं कमेटी (Committee)

मिड डे मील स्कीम को लेकर किसी तरह का घोटाला और लापरवाही ना बरती जाए इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई कमेटी का गठन किया है. जिनमें से कुछ कमेटी नेशनल लेवल पर इस स्कीम पर निगरानी रखती है, जबकि कुछ स्टेट, जिला, नगर, ब्लॉक, गाँव और स्कूल लेवल पर इस स्कीम के कार्य को देखती है और ये सुनिश्चित करती है कि देश के हर स्कूल में सही तरह का खाना बच्चों को दिया जाए.

नेशनल लेवल केमटी

नैशनल लेवल पर अधिकारित समिति, राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग–सह–निगरानी समिति (एनएसएमसी) और कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड (पीएबी) इस स्कीम की मॉनीटर करता है और ये कमेटी सीधे तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा हेड की जाती हैं।

स्टेट लेवल

स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय संचालन–सह–निगरानी समिति इस स्कीम पर निगरानी रखती है और ये केमटी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है।.

जिला स्तर

हर राज्य के प्रत्येक जिले में भी एक कमेटी का गठन इस स्कीम की निगरानी करने के लिए किया गया है. हर जिले की जिला स्तर समिति ये सुनिश्चित करती है कि उनके जिला स्तर के अंदर अपने वाले सभी लाभांवित स्कूलों में बच्चों को इस स्कीम के तहत अच्छा खाना दिया जाए. जिला स्तर समिति की अध्यक्ष लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती हैं।.

स्थानीय स्तर पर

स्थानीय स्तर पर गांव शिक्षा समितियों (वीईसी), अभिभावक–शिक्षक संघ (पीटीए), स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के सदस्य, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के लोग, नियमित रूप से इस स्कीम के कार्यों को देखते हैं।.

संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम)

ऊपर बताई गई कमेटियों के अलावा संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) भी इस स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करता हैं. केंद्र द्वारा गठित किए गए जेआरएम के सदस्य शैक्षणिक और पोषण विशेषज्ञ होते हैं. जो समय–समय पर क्षेत्रीय स्कूलों में जाकर इस स्कीम की समीक्षा करते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को उस राज्य के साथ साझा करते हैं जिस राज्य के स्कूल के खाने की ये समीक्षा करते हैं।

संदर्भ

1. https://hindi-news18-com/news/career/mid-day-meal-name-now-pm-poshan-shanti-nirman-scheme-and-cooking-competition-in-schools-3771659-html
2. https://www-abplive-com/news/india/pm-modi-renamed-mid-day-meal-scheme-as-pm-poshan-scheme-know-everything-about-it-1975457
3. https://www-outlookhindi-com/country/india/opposition-targets-central-government-for-changing-the-name-of-mid-day-meal-scheme-62194
4. Pradip Giri-Effectiveness of Mid-Day Meal as Persived by the Teachers and the Guariance] National Montly Refered Jounral of Research in Arts and Education.
5. Sahai Shekhar Chandra. Mid-Day Meal Scheme: Achievements and Challenges- International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2014. ISSN[online]:2319-7722] ISSN(Print)2319-7714] Volume 3] Issue 10] PP-06-09] Lucknow-